**न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०**

**पीठासीन अधिकारी**

**काना राम मीणा,**

(RJS)

**निर्णय दिनांक :– 16.03.2026**

**आपराधिक प्रकरण सं. 55/2026**

**सीआईएस नं. 396/2015**

CNR No. RJBR020014032014

**एफआईआर सं. 622/2014 पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)**

**अपराध अंतर्गत धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0**

PART– I

A

| | |
|---|---|
| परिवादी | राजस्थान राज्य |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी |
| अभियुक्त/अभियुक्तगण | 1. बनवारी पुत्र सुल्तान निवासी बालाखेडा, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज.<br>2. बबलू पुत्र सुल्तान निवासी बालाखेडा पुलिस थाना अंता जिला बारां राज.<br>3. सोमारिया उर्फ महेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी गोल्याहेडी, पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा राज. **(मफरूर)**<br>4. सुरेश पुत्र रामभरोस, निवासी गोल्याहेडी, पुलिस थाना कैथून, जिला कोटा राज. **(मफरूर)**<br>5. अमरेश पुत्र सूरजमल निवासी बम्बूलिया कला पुलिस थाना अंता जिला बारां राज. **(निर्णय दिनांक 12.09.2024)** |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र नागर |

B

| | | |
|---|---|---|
| अपराध की दिनांक | 08.09.2014 | |
| एफआईआर की दिनांक | 09.09.2014 | |
| आरोप पत्र की दिनांक | 05.12.2014 | |
| आरोप सुनाये जाने की दिनांक | सोमारिया उर्फ महेन्द्र | 06.01.2015 |
| | सुरेश | 10.10.2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अमरेश | 01.12.2023 |
| | | बनवारी | 11.02.2026 |
| | | बबूल | 14.11.2025 |
| साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक | | 20.01.2024 | |
| निर्णय के लिए निर्धारित तिथि | | 16.03.2026 | |
| दंडादेश (यदि हो तो) | सुनवाई की दिनांक | - | |

## C
## अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

| अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी | अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम | प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक | प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक | आरोपित अपराध | दोषसिद्ध या दोषमुक्त | दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण | धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | बबलू | 18.09.2014 | 14.10.2014 | 457, 380, 411 भा0दं0सं0 | दोषमुक्त | – | 18.09.2014 से 14.10.2014 तक |
| | बनवारी | 09.09.2014 | 18.09.2014 | | | | 09.09.2014 से 18.09.2014 तक |

## PART– II
## साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी
## (A) अभियोजन साक्षी

| श्रेणी | नाम | साक्षी की प्रकृति |
|---|---|---|
| PW1 | इस्लाम | औपचारिक गवाह |
| PW2 | बद्रीलाल | औपचारिक गवाह |
| PW3 | नवलकिशोर | मैटेरियल गवाह |
| PW4 | हरलाल | अनुसंधान अधिकारी |
| PW5 | अशोक कुमार | औपचारिक गवाह |
| PW6 | जमनालाल | औपचारिक गवाह |
| PW7 | चंदाबाई | मैटेरियल गवाह |

| | | |
|---|---|---|
| PW8 | हरिचरण मेहता | औपचारिक गवाह |
| PW9 | सुरेश वर्मा | औपचारिक गवाह |
| PW10 | जोधराज | परिवादी मेटेरियल गवाह |

## (B) बचाव साक्षी

| RANK | NAME | साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS) |
|---|---|---|
| - | - | - |

## (C) न्यायालय साक्षी

| RANK | NAME | NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS) |
|---|---|---|
| – | – | – |

## प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

### (A) अभियोजन प्रदर्श

| क्र. सं. | प्रदर्श संख्या | वर्णन |
|---|---|---|
| 1 | Ex P1 पी.डब्ल्यू–10 | फर्द नक्शा मौका |
| 2 | Ex P2 पी.डब्ल्यू–10 | तहरीरी रिपोर्ट |
| 3 | Ex P3 पी.डब्ल्यू–10 | चाक एफआईआर |
| 4 | Ex P4 | फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी सुरेश |
| 5 | Ex P5 | फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी सोमारिया उर्फ महेन्द्र |
| 6 | Ex P6 | फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुल्जिम सुरेश |
| 7 | Ex P7 | फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुल्जिम महेन्द्र उर्फ सोमारिया |
| 8 | Ex P8 पी.डब्ल्यू–10 | फर्द बरामदगी एवं जप्ती ट्रेक्टर की टेपरिकार्ड व एक फोलारी चांदी बकब्जा मुल्जिम सोमारिया उर्फ महेन्द्र |
| 9 | Ex P9 पी.डब्ल्यू–10 | फर्द बरामदगी एवं जप्ती एक फोलारी चांदी बकब्जा मुल्जिम सुरेश |
| 10 | Ex P10 पी.डब्ल्यू–08 | फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुल्जिम बबलू |
| 11 | Ex P11 पी.डब्ल्यू–08 | फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुल्जिम अमरेश |
| 12 | Ex P12 | फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी मुल्जिम बनवारी |
| 13 | Ex P13 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम बनवारी |
| 14 | Ex P14 पी.डब्ल्यू–09 | फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुल्जिम बनवारी |
| 15 | Ex P15 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम बबलू |
| 16 | Ex P16 पी.डब्ल्यू–08 | फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुल्जिम बबलू |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Ex P17 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम अमरेश |
| 18 | Ex P18 पी.डब्ल्यू–08 | फर्द तस्दीक घटनास्थल द्वारा मुल्जिम अमरेश |
| 19 | Ex P19 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम अमरेश |
| 20 | Ex P20 पी.डब्ल्यू–08 | फर्द बरामदगी एवं जप्ती एक तोडी चांदी बकब्जा मुल्जिम अमरेश |
| 21 | Ex P21 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम बबलू |
| 22 | Ex P22 पी.डब्ल्यू–08 | फर्द बरामदगी एवं जप्ती एक तोडी चांदी बकब्जा मुल्जिम बबलू |
| 23 | Ex P23 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम सोमारिया उर्फ महेन्द्र |
| 24 | Ex P24 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम सुरेश |
| 25 | Ex P25 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम सोमारिया उर्फ महेन्द्र |
| 26 | Ex P26 | इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम द्वारा मुल्जिम सुरेश |
| 27 | Ex P27 पी.डब्ल्यू–10 | परिवादी जोधराज द्वारा पेश प्रार्थना पत्र |
| 28 | Ex P28 | आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त बनवारी |
| 29 | Ex P29 | आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त बबलू |
| 30 | Ex P30 | आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त अमरेश |
| 31 | Ex P31 | आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त सुरेश |
| 32 | Ex P32 | आपराधिक रिकॉर्ड अभियुक्त सोमारिया उर्फ महेन्द्र |
| 33 | Ex P33 | चिट मार्का, जिसकी प्रति प्रदर्श पी 33ए |
| 34 | Ex P34 | चिट मार्का, जिसकी प्रति प्रदर्श पी 34ए |
| 35 | Ex P35 | चिट मार्का, जिसकी प्रति प्रदर्श पी 35ए |
| 36 | Ex P36 | चिट माल |

## (B) बचाव प्रदर्श

| क्र.सं. | प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित | वर्णन |
|---|---|---|
| - | – | – |

## (C) न्यायालय प्रदर्श:

| क्र.सं. | प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित | वर्णन |
|---|---|---|
| | NIL | |

## (D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

| क्र.सं. | सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक | वर्णन | मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन |
|---|---|---|---|
| 01 | आर्टिक्ल ए–1 | | सफेद कपडे की थैली |
| 02 | आर्टिक्ल ए–2 | | चांदी जैसे धातु की तोडी |
| 03 | आर्टिक्ल ए–3 | | सफेद कपडे की थैली |

| | | |
|---|---|---|
| 04 | आर्टिक्ल ए–4 | चांदी जैसे धातु की तोडी |
| 05 | आर्टिक्ल ए–5 | सफेद कपडे की थैली |
| 06 | आर्टिक्ल ए–6 | छोटी सफेद कपडे की थैली |
| 07 | आर्टिक्ल ए–7 | चांदी जैसी बिछुडी |
| 08 | आर्टिक्ल ए–8 | सफेद कपडे की थैली |
| 09 | आर्टिक्ल ए–9 | कपडे की थैली |
| 10 | आर्टिक्ल ए–10 | चांदी जैसे धातु की बिछुडी |
| 11 | आर्टिक्ल ए–11 | टेप रिकार्डर |

**नोट:– हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त अमरेश के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.09.2024 को निर्णय पारित किया जा चुका है तथा अभियुक्तगण सोमारिया उर्फ महेन्द्र व सुरेश मफरूर है, इस निर्णय के माध्यम से केवल अभियुक्तगण बनवारी व बबलू की हद तक प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।**

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 09.09.2014 को परिवादी जोधराज ने एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 व प्रदर्श पी 27 पुलिस थाना कोतवाली बारां में इस आशय की पेश की है कि गई रात्रि को वह और उसका परिवार अपने घर पर सो रहे थे। उसका साला बृजमोहन उर्फ बृजेश मेला देखने गये थे, जहाँ से मेला देखकर रात्रि के 2 बजे करीब वापस आये तो अज्ञात लोग मकान के जंगले से सामान निकाल रहे थे। उसके साले ने शोर मचाया कि चोर–चोर, इस पर उसकी जाग हो गई। वह उठा और चोरो का पीछा किया, जिनमें से एक व्यक्ति पकडने में आ गया, जो बार–बार नाम बदलकर बता रहा था। पकडने के बाद वह अभी तीन व्यक्ति अन्य बता रहा था, जिनसे सामान वापस लाने की बात कर रहा था। उसने बक्से में सामान देखे तो दो जोडी फोलरिया, दो जोडी तोडिया 25,000 रूपये नगद व ट्रेक्टर का शिटेप नहीं मिला, जो इन लोगों ने चुराया है। चोरों को घर से निकलते समय उसके साले बृजमोहन उर्फ बृजेश ने देखा है। चोर को साथ पकड़कर लेकर आये हैं.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 622/2014 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त बबलू के विरूद्ध धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0 में व अभियुक्त बनवारी के विरूद्ध धारा 457, 380 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त बबलू को जुर्म धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0 का तथा अभियुक्त बनवारी को जुर्म धारा 457, 380 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतगर्त धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिम से प्राप्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला में कहे गये विशिष्ट शब्दों बाबत कोई कथन नहीं रहे हैं, जिससे चुराये हुये सामान की बरामदगी का कोई महत्व नहीं रह जाता है, घटनास्थल बाबत नक्शा मौका पूर्व से ही पत्रावली पर मौजूद होकर अनुसंधान अधिकारी के द्वारा देखा जा चुका था, जिससे मुलजिम के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर की गई मौका तस्दीक का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है, महत्वपूर्ण गवाह बृजप्रकाश उर्फ वृजेश उर्फ बृजमोहन की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आ पाई है, जिससे अभियोजन का मामला कमजोर रहा है व मुल्जिम बनवारी से कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा बबलू से जो बरामदगी की गई है वह मुल्जिम के स्वामित्व का परिसर हो इस बाबत् कोई कागजात पेश नहीं हुए है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.09.2014 को समय 2.00 एएम के लगभग माल मौजा, बारां में परिवादी जोधराज के मकान में चोरी का अपराध करने के आशय से रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर परिवादी की सहमति के बिना मकान में से बक्से में से दो जोडी फोलरियां, दो जोडी तोडियां, ट्रेक्टर का टेपरिकार्डर व 25,000 रूपए नकद बेईमानीपूर्वक आशय से चुराकर चोरी कारित करते हुए उक्त चोरी की संपत्ति को जानते हुए मुल्जिम बबलू द्वारा कब्जे में रखा जाकर उक्त अपराध कारित किया, यदि हां तो अभियुक्तगण किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. इस प्रकार पत्रावली पर आयी समस्त अभियोजन साक्ष्य को देखा जाये तो इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला साबित किये जाने हेतु कुल 10 अभियोजन गवाहों को परिक्षित करवाया गया है एवं विभिन्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है। अभियोजन कहानी अनुसार परिवादी जोधराज के द्वारा घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 के द्वारा दिनांक 08.09.2014 को रात करीब 2 बजे घर पर सोते समय उसके साले बृजमोहन उर्फ बृजेश का मेला देखकर वापस आने पर अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मकान के जंगले से सामान निकालते हुये देखने पर शोर मचाने से जागने पर उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को पकड लेना एवं चैक करने पर बक्से में से चांदी की फोलरिया, तोडिया व 25 हजार रूपये नकद व ट्रेक्टर का टेप नहीं मिलना बताया गया है। इस प्रकार उक्त तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 में मुलजिम अमरेश के द्वारा चोरी करने बाबत एवं मौके पर उसे पकडने बाबत कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है एवं घटना की रिपोर्ट में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी करना उल्लेखित है। वही इस संबंध में परिवादी पी.डब्ल्यू–10 जोधराज की साक्ष्य को देखा जाये तो उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में साल 2014 में वह और उसकी पत्नी का कमरे के अंदर सोते समय रात के करीब 2 बजे बच्चा बच्ची व साले बृजराज की चोर–चोर चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके व उसकी पत्नी के द्वारा बाहर आकर देखने पर चोर के द्वारा खिडकी में से सामान ले जाने हुये देखने पर भागने लगना, जिनका पीछा करने पर उनमें से एक व्यक्ति को पकड लेना व सामान चैक करने पर छोटे बक्से में रखी दो जोडी फोलरिया, दो जोडी तोडिया और 25,000 रूपये नकद व ट्रेक्टर का टेप रिकार्डर गायव मिलना, जिसमें से 25,000 रूपये बाद में मिल जाना व इसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 थाना कोतवाली, बारां में पेश करना बताया है। वही जिरह में यह बताया कि उसने रिपोर्ट में किसी मुल्जिमान का नाम नहीं लिखाया था और आज भी उसे पता नहीं होना बताया कि किसने चोरी की थी। इस प्रकार परिवादी ने मुल्जिमान के द्वारा चोरी करने बाबत कोई कथन नहीं किये है एवं किसने चोरी की, यह भी पता नहीं होना बताया है। वही परिवादी की पत्नी पी.डब्ल्यू–7 चन्दा बाई ने मुख्य परीक्षा में साल 2013 को वह और उसके पति जोधराज का मकान के अंदर सोते समय रात के करीब 2 बजे बाहर से उसके बच्चे–बच्ची व उसके भाई बृजराज उर्फ बृजेश के चोर–चोर चिल्लाने की आवाज आने पर उन दोनों पति पत्नी के द्वारा बाहर जाकर देखने पर दूसरे कमरे का दरवाजा खुला होना व अज्ञात चोर के द्वारा कमरे का जंगला तोडकर पीछे से सामान निकालना व उन्हें देखकर भागने लगना, जिनका पीछा करने पर एक व्यक्ति का पकड में आना व उसके साथ में अन्य तीन व्यक्तियों का होना व बक्सा चैक करने पर दो जोडी फोलरिया, दो जोडी तोडिया, 25,000 नकद व ट्रेक्टर का टेप रिकार्डर नहीं मिलना बताया। वही जिरह में यह स्वीकार किया कि

चोरी करने वालों को पहले से नहीं जानते थे और आज भी नहीं पहचानते है एवं उसे किसी मुलजिम का नाम आज भी पता नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी साक्ष्य में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसके मकान से चोरी करना व जिनके नाम नहीं जानना बताया है। वही तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 में उल्लेखित मौके के चश्मदीद गवाह बृजमोहन उर्फ बृजेश को तलब करने के भरसक प्रयासों के बावजूद उक्त महत्वपूर्ण गवाह की उपस्थिति नहीं हो पाई है, जिससे उक्त गवाह की महत्वपूर्ण साक्ष्य मुल्जिमान की पहचान बाबत पत्रावली पर नहीं आ पाई है। वही अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–4 हरलाल ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी 2 में तहरीरी रिपोर्ट में किसी भी मुलजिम का नाम अंकित नहीं है, लेकिन पुलिस कार्यवाही में मुलजिम बनवारी का नाम अंकित होना बताया है। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने भी मुलजिम अमरेश का नाम तहरीरी रिपोर्ट में अंकित होने बाबत कोई कथन साक्ष्य में नहीं किये है। ऐसे में इस मामले में अभियोजन पक्ष का ऐसा कोई गवाह नहीं है, जिसने मुल्जिमान को परिवादी के मकान से चोरी करते हुये देखा हो एवं मौके पर भागते हुये देखकर पहचाना हो, जिससे अभियोजन का मामला संदेहपूर्ण हो जाता है।

10. अब जहाँ तक प्रश्न चुराये हुये सामान का मुल्जिमान के कब्जे से अथवा उनकी इत्तला के आधार पर बरामद होने का है, तो इस संबध में अनुसंधान अधिकारी पी. डब्ल्यू–4 हरलाल ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 09.09.2014 को थाना कोतवाली बारां में एएसआई के पद पर कार्यरत होना व उक्त प्रकरण में तफतीश उसके जिम्मे होने पर मुलजिम बबलू से प्राप्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी 21 के आधार पर मुलजिम के द्वारा आगे आगे चलकर स्वयं के रिहायशी मकान में जाकर चारपाई के नीचे एक छोटे बक्से को खोलकर उसमें रखी एक चांदी की तोडी की निकालकर पेश करने पर उसे जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 22 के जब्त करना बताया है। वही मौतबीर गवाह पी.डब्ल्यू–5 अशोक कुमार ने भी साक्ष्य में दिनॉक 18.09.2014 को पुलिस थाना कोतवाली बारां में कान्स्टेबल के पद पर कार्यरत होकर मुलजिम बबलू की निशांदेही पर चांदी तोडी को जरिये फर्द प्रदर्श पी 22 के जब्त करना बताया है। वही अन्य मौतबीर गवाह पी.डब्ल्यू–8 हरिचरण मेहता ने मुख्य परीक्षा में दिनांक 19.09.2014 को मुलजिम बबलू की इत्तला के आधार पर मुलजिम द्वारा अपने रिहायशी मकान बालाखेडा में आगे–आगे चलकर खाट के नीचे रखे छोटे बक्से में से एक चांदी की तोडी निकालकर पेश करने पर जरिये फर्द प्रदर्श पी 22 के जब्त करना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों ही गवाहों ने जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 22 के उक्त चांदी की तोडी को जब्त करना बताया है। वही उक्त जब्ती बाबत परिवादी पी.डब्ल्यू–10 जोधराज की साक्ष्य को देखा जाये तो

उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षा में मुलजिम बबलू द्वारा आगे–आगे चलकर अपने गांव बालाखेडा में अपने मकान में से एक तोडी चांदी की पेश करने पर जिसे उसके द्वारा पहचानना व जिसे पुलिस द्वारा उसके सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी 22 के जब्त करना अवश्य बताया है, किन्तु जिरह में उसके सामने कोई बरामदगी नहीं करना बताया है तथा परिवादी द्वारा जो सामान बरामद करना बताया है वह स्वयं का नहीं होना साक्ष्य में स्वीकार किया है, इस प्रकार परिवादी ने जिरह में उसके सामने कोई बरामदगी किये जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है, जिससे उक्त गवाह के सामने मुल्जिमान से चांदी की तोडी की बरामदगी की गई हो, यह तथ्य गंभीर रूप से संदेहपूर्ण हो जाता है।

11. वही जहाँ तक मुल्जिमान द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा इत्तला के विशिष्ट शब्द अपनी साक्ष्य में नहीं बताये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–4 हरलाल की साक्ष्य को देखा जाये तो उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में मुल्जिमान की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दिया जाना बताया है, किन्तु उक्त मुल्जिमान के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला में उसे क्या इत्तला दी, इस बाबत कोई विशिष्ट कथन अपनी साक्ष्य में अनुसंधान अधिकारी ने नहीं किये गये है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय "Dau Ram VS. State of Rajasthan" (2019(3)RLW 1843(Raj.)) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला ग्राहय होने के लिये पुलिस अधिकारी के द्वारा उक्त इत्तला में मुलजिम द्वारा कहे गये विशिष्ट शब्द अपनी साक्ष्य में बताये जाना आवश्यक है एवं उक्त इत्तला पर मात्र प्रदर्श अंकित किये जाने से विधि की दृष्टि से साबित होना नहीं माना जा सकता है। ऐसे में उक्त इत्तला के विशिष्ट शब्दों बाबत अपनी साक्ष्य में कोई कथन अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं किये जाने से अभियुक्तगण की ऐसी इत्तला के आधार पर की गई चांदी की तोडी की बरामदगी का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

12. जहाँ तक मुल्जिमान से प्राप्त धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर की गई घटनास्थल की तस्दीक का प्रश्न है तो अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–4 हरलाल की साक्ष्य को देखा जाये तो उक्त गवाह ने अपनी साक्ष्य में मुल्जिमान की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 14 व 16 बनाना बताया है। उक्त मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 14 व 16 को देखा जाये तो उक्त दिनॉक 11.09.2014 व 18.09.2014 को बनाया जाना प्रकट होता है, किन्तु उक्त मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 14 व 16 मुल्जिमान की इत्तला पर बनाये जाने से पूर्व ही फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 दिनॉक 09.09.2014 को ही अनुसंधान अधिकारी हरलाल

के द्वारा ही बनाया जाकर अनुसंधान पत्रावली में उपलब्ध होकर उसका भाग बन चुका था। वही अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–4 हरलाल ने जिरह में भी यह स्वीकार किया है कि घ ाटनास्थल तस्दीक से पूर्व वह घटनास्थल पर जा चुका था, जिससे मुल्जिमान की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के आधार पर करायी गई मौका तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 14 व 16 का कोई महत्व नहीं रह जाता है तथा फर्द जप्ती प्रदर्श पी 20 व 22 के गवाह अशोक व हरिचरण है जिस संबंध में गवाह अशोक कुमार द्वारा साक्ष्य में बरामदगी स्थल पर ताला लगा हुआ था या नहीं नहीं बता सकने के तथ्य को स्वीकार किया है व गवाह हरिचरण द्वारा भी बरामदगी स्थल के स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज प्राप्त किए या नहीं पता नहीं होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिम बबलू से जो बरामदगी बताई गई है वह स्थान मुल्जिम के स्वामित्व व कब्जे का हो इस संबंध में कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं होना प्रकट होता है तथा मुल्जिम बनवारी से कोई बरामदगी नहीं होना प्रकट होती है तथा मुल्जिम बबलू द्वारा चोरी का माल जानते हुए कब्जे में रखा गया हो इस संबंध में फर्द जप्ती साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अपना मामला उक्त अभियुक्तगण बनवारी व बबलू के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा प्रतीत होता है। इस कारण न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्त बबलू को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380, 411 भा.दं.सं. में व मुल्जिम बनवारी को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## –:: <u>आदेश</u> ::–

13. परिणामतः अभियुक्त **1. बनवारी** पुत्र सुल्तान निवासी बालाखेडा, पुलिस थाना अंता, जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भा0दं0सं0 के आरोप में व अभियुक्त **2. बबलू** पुत्र सुल्तान निवासी बालाखेडा पुलिस थाना अंता जिला बारां राज.को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380, 411 भा0दं0सं0 के आरोप में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है एवं मुल्जिम अमरेश पुत्र सूरजमल के विरूद्ध दिनांक 12.09.2024 को निर्णय पारित करते हुए दोषमुक्त किया जा चुका है।

14. अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत् पूर्व जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं एवं मुल्जिमान द्वारा धारा 437ए सीआरपीसी के तहत जमानत मुचलके प्रस्तुत किए जावे।

**15. अभियुक्तगण सोमरिया उर्फ महेन्द्र व सुरेश हस्तगत प्रकरण में मफरूर है। अतः पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किये जाने बाबत् लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे।**

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

16. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY